



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

10 जनवरी 2022

**भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी**

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹24,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

| क्र. | प्रतिभूति           | पुनर्भुगतान की तारीख | अधिसूचित राशि (₹ करोड़) | भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना    | नीलामी की तारीख | भुगतान की तारीख |
|------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1    | नई जीएस 2032        | 17 जनवरी 2032        | 13,000                  | <a href="#">एफ़.सं4(3)-</a>       | 14              | 17              |
| 2    | जीओआई एफ़आरबी 2034* | 30 अक्टूबर 2034      | 4,000                   | <a href="#">बी(डब्ल्यूएंडएम)/</a> | जनवरी           | जनवरी           |
| 3    | 6.95 % जीएस 2061    | 16 दिसंबर 2061       | 7,000                   | <a href="#">2021 दिनांकित</a>     | 2022            | 2022            |
|      |                     |                      |                         | <a href="#">10 जनवरी, 2022</a>    | (शुक्रवार)      | (सोमवार)        |
|      | <b>कुल</b>          |                      | <b>24,000</b>           |                                   |                 |                 |

\*30 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए जीओआई एफ़आरबी 2034 के लिए कूपन भुगतान हेतु आधार दर 3.70 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से एक या एक से अधिक के लिए 2,000 रुपये तक की प्रत्येक की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।

3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट 'विशिष्ट अधिसूचना' में उल्लिखित नियमों और शर्तों और [27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना एफ़.सं.4\(2\)-डब्ल्यूएंडएम/2018](#) के अनुसार की जाएगी।

4. नई जीएस 2032 की नीलामी, एकसमान प्रतिफल पद्धति, जीओआई एफ़आरबी 2034 की नीलामी, एकसमान मूल्य पद्धति का प्रयोग करके तथा 6.95% जीएस 2061 की नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 14 जनवरी 2022 (शुक्रवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा उसी दिन ही की जाएगी और सफल बोली लगाने वाले द्वारा भुगतान 17 जनवरी, 2022 (सोमवार) को करना होगा।

5. अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) भाग के हामीदारी हेतु बोलियां प्राथमिक व्यापारी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 14 जनवरी 2022 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 9.00 बजे से पूर्वाह्न 9.30 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है।

6. स्टॉक 11 जनवरी 2022 – 14 जनवरी 2022 की अवधि के लिए "जब जारी किया गया" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

7. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी हेतु परिलन संबंधी दिशानिर्देश और अन्य विवरण [अनुलग्नक](#) में दी गई है।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1522

अजीत प्रसाद  
निदेशक (संचार)

**नीलामी के प्रकार**

1. एकाधिक मूल्य-आधारित नीलामी के लिए, सफल बोलियों को प्रतिभूतिय के लिए संबंधित उद्धृत प्रतिफल /मूल्य पर स्वीकार की जाएगी। एकसमान मूल्य-आधारित नीलामी के लिए बोलियां नीलामी में स्वीकृत कट ऑफ प्रतिफल/मूल्य पर स्वीकार की जाएंगी।
2. नवीन प्रतिभूतियों के लिए नीलामी प्रतिफल आधारित और पुननिर्गम की गई प्रतिभूतियों के लिए नीलामी मूल्य आधारित होगी।
3. अस्थिर दर वाले बॉण्ड (एफ़आरबी) की स्थिति में, नवीन प्रतिभूति की नीलामी स्प्रेड आधारित और पुननिर्गम की गई प्रतिभूतियों की नीलामी मूल्य आधारित होगी। एफ़आरबी के लिए बोली लगाते समय, स्प्रेड को प्रतिशत के रूप में उद्धृत किया जाना चाहिए।

**न्यूनतम बोली आकार**

4. स्टॉक को ₹10,000 की न्यूनतम राशि (नाममात्र) तथा उसके उपरांत ₹10,000 के गुणजों में जारी किया जाएगा।

**गैर-प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र**

5. सभी नीलामियों में, बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक के सरकारी स्टॉक को सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुविधा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा। व्यक्तिगत निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (<https://rbiretaildirect.org.in>) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां लगा सकते हैं।
6. प्रत्येक बैंक या प्राथमिक व्यापारी (पीडी) अपने संघटकों से प्राप्त पुख्ता ऑर्डर के आधार पर अपने सभी संघटकों की ओर से एक समेकित गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में प्रस्तुत करेंगे।
7. बैंक या प्राथमिक व्यापारी को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक खंड के अंतर्गत आबंटन, सफल बोलियों के प्रतिफल/मूल्य की भारत औसत दर पर होगा जो प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर नीलामी से उत्पन्न होगा।

**बोलियों को प्रस्तुत करना**

8. नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
9. असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी हालात में बोलियों को भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी)-आईटी विफलता**

10. केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियां आरबीआई की वेबसाइट ([https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_ViewForms.aspx](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx)) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में, नीलामी समय समाप्त होने से पहले, लोक ऋण कार्यालय, मुंबई को (ईमेल; फोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

11. तकनीकी कठिनाइयों की परिस्थिति में, कोर बैंकिंग ऑपरेशन टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-27595666, 022-27595415, 022-27523516) किया जाना चाहिए।
12. नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी की नीलामी टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है।

### एकाधिक बोलियाँ

13. एक निवेशक एक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत कर सकता है।
14. तथापि, एक व्यक्ति द्वारा नीलामी में प्रस्तुत बोली की संकलित राशि नीलामी हेतु अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

### निर्णय लेने की प्रक्रिया

15. प्राप्त बोलियों के आधार पर, नीलामी के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी स्टॉक की खरीदी के लिए निविदा हेतु स्वीकार करने योग्य न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा।
16. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम उद्धृत की गई बोलियों को अस्वीकार किया जाएगा।
17. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना किसी कारण के किसी बोली या सभी बोलियों को पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।

### प्रतिभूतियों का निर्गम

18. सफल बोली लगाने वालों को प्रतिभूतियों का निर्गम, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) रखने वाले पार्टियों के एसजीएल खाते में क्रेडिट करते हुए या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में किया जाएगा।

### ब्याज भुगतान की आवश्यकता

19. गैर-मानक परिपक्वताओं वाले सरकारी स्टॉक को छोड़ कर प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा। कूपन भुगतान की सटीक आवधि प्रतिभूति के निर्गम की विशिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित है।

### सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी

20. 'प्राथमिक व्यापारियों' द्वारा नीलामियों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित 14 नवंबर 2007 को जारी परिपत्र आरबीआई/2007-08/186 द्वारा घोषित "हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना" के अनुसार की जाएगी।

### पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्रता

21. स्टॉक [समय-समय पर संशोधित पुनर्खरीद लेनदेन \(रेपो\) \(रिज़र्व बैंक\) निदेश, 2018 \(रिज़र्व बैंक\) निदेश, 2018](#) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्र होंगे।

### ‘जब जारी’ ट्रेडिंग के लिए पात्रता

22. स्टॉक समय-समय पर यथासंशोधित [24 जुलाई 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं.आरबीआई/2018-19/25](#) के ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन’ विषयक दिशा-निर्देशों के अनुसार "जब जारी किया गया" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

### गैर-निवासी द्वारा निवेश

23. गैर-निवासियों द्वारा निवेश, सरकारी प्रतिभूतियों में गैर-निवासियों द्वारा निवेश और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश: मध्यम अवधि ढांचा (एमटीएफ) के लिए ‘पूर्णतः सुलभ मार्ग’ के दिशानिर्देशों के अधीन हैं।